समाचार.प्रकाषनार्थरू.

गंदगी करने पर पद्मश्री बार पर 20 हजार का जुर्माना

रतलाम 2 अप्रैल । सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान सज्जनमिल रोड स्थित पद्मश्री बार के सामने कचराए गंदगी व अमानक पॉलीथीन पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार स्पॉट फाईन टीम द्वारा बार को सील किया गया बार संचालक द्वारा जुर्माने की राषि रूपये 20 हजार जमा कराने पर खोला जाकर भविश्य में कचरा एवं गंदगी ना करने के निर्देष दिये गये अन्यथा बार का लायसेंस निरस्त करने हेतु प्रस्ताव जिला प्रषासन को प्रेशित किय जायेगा।

पद्मश्री बार संचालक को पूर्व में भी कचरा एवं गंदगी ना करने की समझाईष दी गई थी किन्तु संचालक द्वारा इसकी पुनरावृत्ति निरंतर किये जाने पर बार को सील करने व जुर्माना करने की कार्यवाही की गई।

सुरेष कूलर के 3 ट्रेक्टर ट्रॉली भरकर कूलर जब्त

फुटपाथ का किया जा रहा था व्यावसायिक उपयोग

रतलाम 2 अप्रैल । राम मंदिर के सामने सुरेष कूलर द्वारा नवनिर्मित फुटपाथ पर कूलर रखकर फुटपाथ का व्यावसायिक उपयोग करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम अतिक्रमण दस्ते द्वारा कार्यवाही करते हुए 3 टैªक्टर ट्रॉली भरकर कूलर व अन्य सामग्री जब्त की गई। दुकानदार द्वारा 200 स्क्वेयर फीट से अधिक के फुटपाथ पर कूलर व अन्य सामग्री रखकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।

नगर निगम द्वारा दुकानदारों व व्यावसायिक प्रतिश्ठानों के संचालकों से अपील की जाती है कि वे अपना व्यवसाय अपनी दुकानों व प्रतिश्ठनों में ही संचालित करना सुनिष्चित करें सामान को सड़को व फुटपाथ पर रखकर अतिक्रमण ना करें अन्यथा की दषा में नगर निगम द्वारा सामान को जब्त किया जाकर बड़ी राषि का जुर्माना

कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। सड़के व फुटपाथ नागरिकों के आवागन के लिये होती है ना कि अतिक्रमण व व्यावसायिक उपयोग के लिये।

समाचारध्जणसंणविणध्हेमन्तध02ण04ण2022ध्नणपाणनिगमए रतलामण